18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1488—अध्यक्ष/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी व्यावरा जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 29/अ—6/2015—16.

.....

1—रामनारायण पुत्र स्व0 मथरालाल
2—ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मथरालाल
3—सरजोबाई बेवा स्व0 मथरालाल
निवासीगण ग्राम कचनारिय तहसील
व्यावरा जिला राजगढ म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1—राजा मुन्नी पुत्र स्व0 हरिनारायण
2—गिरिराज पुत्र स्व0 हरिनारायण
3—राजेश पुत्र स्व0 हरिनारायण
4—शांता बाई बेवा स्व0 हरिनारायण
निवासीगण ग्राम दुग्या तहसील
सारंगपुर जिला राजगढ म0 प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री राजेश ठाकुर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 03/07/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी व्यावरा जिला राजगढ़ द्वारा पारित आदेश 31—3—17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण के पिता/पति द्वारा ग्राम पंचायत कचनारिया का फोती नामांतरण प्रस्ताव कमांक 8 दिनांक 26.9.99 प्रमाणित आदेश दिनांक 1.2.2000 नामांतरण पंजी कमांक 4 ग्राम कचनारिया प0ह0न0 11 तहसीलदार ब्यावरा जिला राजगढ़ के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा जिला राजगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 31.3.17 को धारा –5 का आवेदन स्वीकार किया गया जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता तर्क है कि अपील में तथ्यों के आधारों को सुक्ष्मता से देखे बिना सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई है जबकि अपील में कोई ऐसे तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है जो सुनवाई योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–5 में ऐसा कोई कारण का उल्लेख नहीं किया गया है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने धारा–5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर वैधानिक भूल की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि समयावधि अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब का कारण स्पष्ट तौर से बताना होगा तथा प्रत्येक दिन का कारण स्पष्ट करना होगा। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा–5 के आवेदन में कितना विलंब हुआ है नहीं बताया गया है, तथा विलंब क्यों हुआ है इसका भी कोई कारण नहीं बताया गया है जबकि अपील 16 वर्षो के अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में कोई विलंब का कारण नहीं बताया गया इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने धारा–5 का आवेदन पत्र बिना किसी उचित कारण के स्वीकार कर विधि के विपरीत आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि 16 वर्षो के बाद वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई इन तथ्यों के संबंध में अनावेदक द्वारा न तो अपील मेमों में उल्लेख किया गया है और न ही धारा–5 के आवेदन में उल्लेख किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार कर विधिक त्रुटि की गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का अंतिरिम आदेश दिनांक 31.3.17 निरस्त किया जावे।

4–अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृतक मथरालाल के वैध वारिसानों की जानकारी लिये बगैर नामांतरण करने में वैधानिक भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अनावेदक का यह भी तर्क है कि ग्राम पंचायत को अविवादित नामांतरण करने के अधिकार हैं, ग्राम पंचायत को अनावेदक के पिता स्व0 हरीनारायण जो कि मथरालाल के पुत्र होकर वैध वारिस है, तथा मथरालाल की मृत्यु के पश्चात आवेदित खाते पर बतौर भूमिस्वामी उनके नाम भी राजस्व अभिलेख में अंकित होना था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र आवेदकगण का नामांतरण करने में गंभीर भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के प्रावधानों का व प्रकिया का पालन किये बगैर आलोच्य आदेश पारित करने में भूल की गई थी । अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.3.17 विधि प्रकिया से उचित होने से स्थिर रखा जावे। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि मूल भूमिस्वामी मथरालाल पिता लक्ष्मीचन्द ब्राहम्ण थे, उनके तीन पुत्र थे, रामनारायण, हरीनारायण, तथा ओम प्रकाश, इनमें से हरीनाराण की मृत्यु मथरालाल के जीवन काल में ही 1989 में हो जाने से उनकी पत्नि शांताबाई अपने तीन बच्चे राजामुन्नी, गिरिराज तथा राजेश को लेकर अपने पिता के यहां ग्राम दुग्या तहसील सारंगपुर में रहने लगी थी। मथरालाल की मृत्यु के बाद उनके तीनों पुत्रों के वारिसान के नाते नामांतरण होना था, लेकिन आवेदकगण ने बाला बाला हरीनारायण के वारिसान को छोड़कर अपना नामांतरण बेईमानी से करा लिया जिसकी जानकारी भी अनावेदकगण को नहीं दी गई। अनावेदकगण द्वारा अपने पिता स्व0 हरीनारायण के हिस्से की भूमि की जानकारी लेने पर उनको दिनांक 1.1.16 को जानकारी हुई। उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की गई थी जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। मूल भूमिस्वामी मथरालाल थे, उनके तीन पुत्र थे लेकिन हरीनारायण की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी अपने पिता के यहां तीन बच्चे लेकर चली गई और वह

मथरालाल के वंशवृक्ष के ही है। उनको नामांतरण की जानकारी देकर नामांतरण होना चाहिये था लेकिन उनके संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई है। अनावेदकगण को सूचना नहीं दी गई है, और न इसके संबंध में ग्रामवासियों का पंचनामा ही लिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा रामनारायण, ओमप्रकाश, सरजोबाई के नाम नामांतरण कर दिया गया था और स्व0 हरीनाराण के वारिसानों को छोड़ दिया गया, इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण करने में त्रुटि की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी का अंतिरिम आदेश दिनांक 31.3.17 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी व्यावरा जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 29/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31.3.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर